उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 38/2016/560(2)/छप्पन-2016-93/2015 टी0सी0-1
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में इंगित लेखाशीर्षक के सापेक्ष तथा उसके नीचे दिये गये कारणों से प्राविधानित धनराशि की व्यय की आवश्यकता न होने के कारण कुल रूपये 18,83,000/- (रूपये अठारह लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	**समर्पित की जाने वाली धनराशि**
2203-तकनीकि शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय- 03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण-	
01- वेतन	443
02- मजदूरी	19
03-मंहगाई भत्ता	651
04-यात्रा भत्ता	14
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1
06- अन्य भत्ते	58
07- मानदेय	0
08-कार्यालय व्यय	10
09- विद्युत व्यय	15
10-जलकर/जल प्रभार	22
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	413
13-टेलीफोन व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7
17- किराया उपशुल्क एंव कर स्वामित्व	76
22-आतिथ्य व्यय	0
26- मशीनें साज-सज्जा एंव संयंत्र	8
29-अनुरक्षण	5
42-अन्य व्यय	2

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

44- प्रशिक्षण व्यय हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25
45-अवकाश यात्रा व्यय	1
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	32
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	8
49-चिकित्सा व्यय	38
51-वर्दी व्यय	20
योग	1883
(रूपये अठारह लाख तिरासी हजार मात्र)	

बचत के कारण:

01-वेतन- सहायक लेखाधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण बचत हुई है।

02-मजदूरी- अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार भुगतान करने के पश्चात बचत हुई है।

03-मंहगाई भत्ता- सहायक लेखाधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण बचत हुई है।

04-यात्रा भत्ता- इस मद में अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

05-स्थानांतरण यात्रा व्यय- इस मद में स्थानांतरण न होने के कारण बचत हुई है।

06-अन्य भत्ते- सहायक लेखाधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण बचत हुई है।

08-कार्यालय व्यय- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

09-विधुत देय- छात्रावासों के बिलों का नियमानुसार भुगतान करने के पश्चात बचत हुई है ।

10- जल कल/जल प्रभाग- छात्रावासों के बिलों का नियमानुसार भुगतान करने के पश्चात बचत हुई है ।

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

13-टेलीफोन व्यय- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व- नगर निमग के बिलों का भुगतान करने के पश्चात बचत हुई है।

26- मशीनें साज-सज्जा एवं संयत्र- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

29-अनुरक्षण- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

42-अन्य व्यय- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

44-प्रशिक्षण व्यय- इस मद में प्रशिक्षण आदि न होने के कारण बचत हुई है।

45-यात्रा व्यय- इस मद में टोकन प्राविधान होने के कारण बचत हुई है।

-----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर- इस मद में प्रशिक्षण आदि न होने के कारण बचत हुई है।
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।
49-चिकित्सा व्यय- कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों को आवश्यकतानुसार भुगतान किये जाने के कारण बचत हुई है।
51-वर्दी व्यय- इस मद में प्रशिक्षण आदि न होने के कारण बचत हुई है।

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

संख्या: ई-7-339(2)/दस-2016-तद्दिनांक 31 मार्च, 2016

प्रतिलिपि महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रूपये 18,83,000/- (रूपये अठारह लाख तिरासी हजार मात्र)की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्र्रहीत कर ली गई है।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।

संख्या: 38/2016/560(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।